



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- राजसमंद में सहायक खनिज अभियंता (सर्तकता) 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 18 जून, शनिवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र लालस सहायक खनिज अभियंता (सर्तकता), जिला राजसमंद को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके गिट्टी क्रेशर प्लांट को सुचारू रूप से बलने देने एवं निरीक्षण के दौरान नाजायज परेशान नहीं करने की एवज में राजेन्द्र लालस सहायक खनिज अभियंता (सर्तकता), जिला राजसमंद द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार के सुपरवीजन एसीबी राजसमंद इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनूप सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र लालस पुत्र श्री चण्डीदान लालस निवासी बी-440, मोहननगर बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर हाल निवासी कालिंदी विहार कांकरोली, राजसमंद हाल सहायक खनिज अभियंता (सर्तकता), जिला राजसमंद को परिवादी से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी खनन अभियंता के अस्थाई निवास की तलाशी में 1 लाख 35 हजार रुपये नगद राशि भी बरामद की गई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।